अध्याय : 2

शोध का प्रारूप

शोध का प्रारूप

किसी भी समाजवैज्ञानिक अध्ययन के लिए शोध–अभिकल्प एवं अध्ययन पद्धति की व्यवस्थित प्ररचना को ज्ञात करना आवश्यक होता है। किसी भी समस्या पर शोध करने के लिए सबसे पहले शोध–अभिकल्प एवं अध्ययन–पद्धति को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। इसके अभाव में शोधकार्य सम्भव नहीं होता। वस्तुतः शोध–अभिकल्प एवं अध्ययन–पद्धति उन दशाओं या परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है जो किसी विशेष अध्ययन के अन्तर्गत आती हैं। यह इस लक्ष्य का प्रतीक है कि किसी विषय के अध्ययन के अन्तर्गत हमें क्या व कैसे करना है? अध्ययन का क्षेत्र, साधन व स्रोत क्या हैं? उन साधनों का हमें कैसे प्रयोग करना है? इसकी जानकारी रखकर ही हम अध्ययन द्वारा किसी अभीष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं।

समस्त शोधों का एक ही आधार उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। पर इस उद्देश्य की प्राप्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है और उसी के अनुसार शोध–प्ररचना का रूप भी अलग–अलग होता है। शोध–प्ररचना मुख्यतः चार प्रकार की हैं– 1. **अन्वेषणात्मक अथवा**

निरूपणात्मक शोध– प्ररचना – जब किसी शोधकार्य का उद्देश्य किन्हीं सामाजिक घटना में अन्तर्निहित कारणों को ढूँढ निकालना होता है तो उसे सम्बद्ध रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध–प्ररचना कहते हैं। इस प्रकार की शोध–प्ररचना में शोधकार्य की रूप रेखा इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति व धाराप्रवाहों की वास्तविकताओं की खोज की जा सके। 2. **निदानात्मक शोध–प्ररचना** – इसके अन्तर्गत उन सामाजिक अध्ययनों को सम्पन्न किया जाता है जिनकी समस्याओं के निदान को खोजना होता है। 3. **परीक्षणात्मक शोध–प्ररचना** – नियन्त्रित दशाओं में रखकर निरीक्षण परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करने की रूपरेखा को परीक्षणात्मक शोध–प्ररचना कहते हैं। 4. **वर्णनात्मक शोध–प्ररचना**– इसमें विषय या समस्या के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है। इसके लिये यह आवश्यक होता है कि विषय के सम्बन्ध में हमें यथार्थ तथा पूर्ण सूचनायें प्राप्त हो जायें क्योंकि इनके बिना अध्ययन विषय या समस्या के सम्बन्ध में हम जो कुछ वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे वह वैज्ञानिक न होकर केवल दार्शनिक ही होगा। वैज्ञानिक वर्णन का आधार वास्तविक व विश्वसनीय तथ्य ही है। अतः यदि हमें किसी समुदाय की जातीय संरचना, शिक्षा स्तर, आवास अवस्था, आयु–समूह, परिवार के प्रकार

आदि का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम इनसे सम्बद्ध वास्तविक तथ्यों को किसी एक या एकाधिक वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा एकत्रित करें। इसके लिये आवश्यक है कि अपने उद्देश्य को सामने रखते हुये एक शोध–प्ररचना को विकसित किया जाय। जिस शोध–प्ररचना का उद्देश्य वर्णनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना होता है, उसे वर्णनात्मक शोध–प्ररचना कहते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन की मूल प्रकृति अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य बाल–श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाना है। बाल–श्रमिक बनने के कारणों एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अन्तर्गत उत्पन्न अवरोधों की जानकारी करनी है। इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों एवं उन प्रयत्नों की सार्थकता जानने का प्रयास किया गया है। वर्तमान अध्ययन में वर्णनात्मक शोध– प्ररचना को भी ग्रहण किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं–

1. बाल श्रमिकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं जीवन शैली का पता लगाना
2. उनके स्वास्थ्य, परिस्थितियों एवं शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना

3. उनके मनोरंजन सम्बन्धी साधनों को ज्ञात करना।
4. कार्य के प्रति लगाव, सेवा एवं उसके कारणों की विवेचना करना।
5. उनके श्रम को प्रभावित एवं अवरोधित करने वाले कारणों की स्थिति तथा अकांक्षाओं को ज्ञात करना।
6. विभिन्न अधिनियमों एवं राजकय प्रयत्नों के सन्दर्भ में उनकी कार्य कुशलता एवं सेवा का अध्ययन करना।
7. बाल श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक सुधार में सरुार की भूमिका का पता लगाना।

उपकल्पनात्मक कथन

किसी भी देश या समाज की प्रगति उसके बच्चों पर निर्भर होती है क्योंकि वही आने वाले कल के निर्माता और रचनाकार होते हैं। इस अर्थ में बालकों का समुचित शारीरिक, मानसिक व शैक्षिक विकास किसी भी राष्ट्र की नींव है। भारत में महिलाओं के साथ–साथ बच्चे भी समाज का सबसे कमजोर वर्ग हैं। देश के लगभग 40 करोड़, यानी कुल आबादी की एक तिहाई जनसंख्या 18 वर्ष से कम आयु के लोगों की है और बच्चों की संख्या हमारी आबादी का लगभग 19 प्रतिशत है। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की है और नियोजकों को उम्मीद है कि इस साल सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की विकास दर होगी। प्रधानमंत्री डॉ0

मनमोहन सिंह तो एक कदम और आगे जाते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में बेहतर स्थिति के चलते आर्थिक विकास की दर 10 प्रतिशत तक जा सकती है लेकिन लाखों–करोड़ों बच्चों के लिये इसका क्या मतलब हो सकता है, जो बेहद गरीबी की हालत में रह रहे हैं और अपने बचपन से वंचित हैं। क्या उनकी परेशानी और शोषण दूर हो जायेंगे जो हर रोज उन्हें झेलने पड़ते हैं? लाखों बच्चे हर रोज अपने मालिकों, परिवार के सदस्यों, यहाँ तक कि अनजान लोगों की हिंसा का शिकार होते हैं। आर्थिक कारणों की वजह से वे स्कूल भी नहीं जाते बल्कि खेतों, कारखानों और घरों में छोटे–छोटे कामों के लिये उन्हें बाल मजदूर के रूप में रखा जाता है जहाँ उन्हें दुर्दशा, दुरूपयोग और अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है। तपतपाती गर्मी में पसीने से तर–बतर होकर उन्हें चुपचाप सर झुकाये काम करना पड़ता है और वे ऐसी जगहों पर हर रोज कई–कई घण्टे काम करते हैं, जहाँ अंधेरा और उमस होती है और रोशनदान नहीं होते, जिससे उनकी जान को खतरा रहता है। लाखों बच्चे इस समय खेती, उद्योग, हथकरघा क्षेत्र और ईंटों के भट्ठों में मामूली मजदूर के रूप में काम करते हैं और अपने घरों तक माता–पिता की देखभाल से दूर रहते हैं।

यूनिसेफ ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि बाल–श्रमिकों के बारे में बहुत सारी भ्रान्तियाँ एवं मिथक हैं जो यथार्थ के धरातल पर सही नहीं हैं। बाल–श्रमिक का मसला बहुत ही जटिल है। एक ओर कुछ स्वार्थी नियोजक, अर्थशास्त्री एवं समूह यह दुष्प्रचार करते रहते हैं कि हर हालत में मुक्त बाजार होना चाहिये जहाँ बाजार की शक्तियाँ स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकें। दूसरी ओर कुछ परम्परावादी दकियानूस लोग यह मानते हैं कि वंचित जातियों और गरीब लोगों के बच्चे अपने बचपन को गिरवी रखकर शिक्षा से वंचित रहकर बचपन में ही मजदूरी करते रहे हैं और इसलिये वे तरह–तरह की थोथी दलील देते हैं किन्तु यह तो सच्चाई है कि कोई भी बालक कम उम्र में मजदूरी करने से नैसर्गिक विकास नहीं कर सकेगा तथा उसका कद एवं शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास समुचित ढंग से नहीं हो सकेगा। यूनिसेफ के अनुसार बाल–श्रमिकों के बारे में चार तरह की भ्रान्तियाँ हैं :–

1. बाल–श्रम सिर्फ गरीब एवं अविकसित देशों में है,
2. बाल–श्रम का उन्मूलन तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि गरीबी का उन्मूलन नहीं हो जाता,
3. बाल–श्रम मुख्यतः निर्यात करने वाले उद्योगों में होता है,

4. बाल–श्रम के खिलाफ एक मात्र उपाय उपभोक्ताओं और सरकारों द्वारा प्रतिबन्धों एवं बहिष्कारों के जरिये दबाव डालना है।

जहाँ तक पहली भ्रान्ति का सवाल है कि बाल–श्रमिक केवल तीसरी दुनिया के गरीब देशों में पाया जाता है, यह सही नहीं है क्योंकि प्रायः सभी देशों में बाल–श्रमिक काम करते हैं किन्तु काम का स्वरूप निर्धारित करता है कि वे काम बच्चों के लिये नुकसानप्रद हैं या नहीं। जहाँ तक दूसरी भ्रान्ति का सवाल है, इस पर यूनिसेफ का कहना है कि यद्यपि समाज के सबसे गरीब और वंचित लोग ही प्रायः बाल–श्रमिक होते हैं किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये कि बाल–श्रमिक और गरीबी अलग नहीं की जा सकती। वास्तव में जब किसी बाल–श्रमिक को खतरनाक काम में लगाया जाता है, तो उससे नियोजक, ग्राहक या बाल–श्रमिक के परिवार वाले लाभान्वित होते हैं किन्तु यदि बाल–श्रमिक अपना काम लम्बे अरसे तक करता रहा, तो वह अकुशल एवं कम मजदूरी वाले कार्यों के जाल में फँसा रहेगा यानी उसे हुनर प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा तथा उसे बेहतरी वाला काम नहीं मिल सकेगा। तीसरी भ्रान्ति यानी बाल–श्रम मुख्यतः निर्यातोन्मुखी उद्योगों में होता है, यह भी सही नहीं है। वास्तव में, करोड़ों बच्चे गैर निर्यात कार्यों में लगे हुए हैं और निर्यातोन्मुखी

उद्योगों में मुश्किल से 5 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं। जहाँ तक चौथी भ्रान्ति का सवाल है यानी बाल–श्रम उन्मूलन का एक मात्र उपाय उपभोक्ताओं और सरकारों द्वारा प्रतिबन्धों और बहिष्कारों के माध्यम से दबाव डालना है, यह भी सही नहीं है क्योंकि इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि सिर्फ पश्चिमी दबाव बाल–श्रमिकों के विरुद्ध हैं और अविकसित देशों के स्वयंसेवी संगठन, संचार माध्यम एवं सरकारें इस समस्या को नजरअन्दाज कर रही हैं।

औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाएँ बढ़ने के साथ–साथ विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों को बड़े पैमाने पर नियोजित किया जाने लगा है। कुछ बाल–श्रमिक कागज के चन्द टुकड़ों के लिये अपना बचपन धीरे–धीरे बेचते रहते हैं, तो कुछ के माँ–बाप अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने तथा भूख मिटाने हेतु कुछ जुगाड़ करने के नाम पर अपने मासूम बच्चों को अस्थायी एवं अलिखित रूप से मालिकों के यहाँ गिरवी रख देते हैं और बदले में उन मालिकों से वे कुछ रूपये अग्रिम ले लेते हैं अथवा पुराने ऋण की किश्तवार भरपाई करने का समझौता कर लेते हैं। इसके अलावा कहीं–कहीं तो बिना किसी भुगतान के बच्चों से काम कराया जाता है और उन बाल–श्रमिकों के माँ–बाप इस गलतफहमी में रहते हैं कि उनका बच्चा हुनर सीख रहा है। मालिकों द्वारा बाल–श्रमिकों का शोषण भिन्न–भिन्न तरीके से किया जाता है।

बाल–श्रमिकों के कार्य करने की स्वतन्त्रता प्रायः कम रहती है। जो माँ–बाप मालिकों से ऋण लिये रहते हैं, उसे साधने के लिये बच्चों को बिना पारिश्रमिक कार्य करना पड़ता है और उसके साथ ही उलाहना भी सहनी पड़ती है।

इस प्रकार के बच्चों में प्रमुख तथ्य निम्नलिखित रूप में निश्चित तौर पर पाये गये हैं–

1. बाल–श्रमिक गरीबी, कुपोषण एवं अशिक्षा के शिकार होते हैं।
2. बाल–श्रमिक शारीरिक, यौन या भावनात्मक शोषण के शिकार होते हैं।
3. ये बच्चे प्रायः असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं।
4. ये बच्चे प्रायः अकुशल कार्य करते हैं।
5. इनमें से कुछ बाल–श्रमिक गलत संगति में पड़कर जुआ, नशीली दवाओं, शराब, काला धंधा और वेश्यावृत्ति के दलाल के रूप में कार्य करने लगते हैं।

उपकल्पनायें किसी भी शोध को केन्द्रित कर उसे सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, जिससे शोध को उचित दिशा–निर्देश प्राप्त होता है। प्रस्तुत अध्ययन को वैज्ञानिक आधार पर निर्देशित दिशा की ओर ले जाने हेतु कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता का परीक्षण अध्ययन

से प्राप्त तथ्यों के आलोक में करने की चेष्टा की गयी है। इस अध्ययन की उपकल्पनायें निम्न हैं।

1. बाल–श्रमिक अधिकांशतः अशिक्षित एवं कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार से सम्बन्धित होते हैं।
2. आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण के शिकार होते हैं।
3. बाल श्रमिकों के परिवार में आपसी झगड़े होते रहते हैं।
4. बाल श्रमिकों का कार्य अस्थाई प्रकृति का है।
5. बाल श्रमिकों की कार्यदशाएँ असंतोषप्रद हैं।
6. बाल श्रमिकों को राजकीय प्रयत्न और सुविधाओं की जानकारी नहीं है।

उपर्युक्त प्राकल्पनाओं के परीक्षण से प्रस्तुत अध्ययन की कार्यविधि को ढंग से परिसीमित करने का प्रयास किया गया है, तथापि अध्ययन के परिक्षेत्र की सीमाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तथापि अध्ययन के अन्तर्गत प्राप्त परिणाम स्वयं में चुनौतीपूर्ण है तथा उनका एक सम्भावित सामान्यीकरण उपेक्षित है, फिर भी अध्ययन के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियाँ अध्ययन की विभिन्न गंभीर विवेचना को एक सार्थक आयाम प्रदान करती है।

समग्र एवं निदर्श का स्वरूप

अन्वेषणात्मक तथा विवरणात्मक प्रारूप पर आधारित इस अध्ययन का समग्र वाराणसी जनपद लिया गया है। पूर्वांचल के

प्रमुख व्यावसायिक परिक्षेत्र में वाराणसी सर्वाधिक अग्रणी रहा है। औद्योगीकरण और नगरीकरण के प्रभाव से यदि यह शहर आधुनिक हुआ है तो वहीं दूसरी ओर बहुत सारी विकृतियों ने भी जन्म लिया है। बाल मजदूरी उनमें से एक प्रमुख समस्या है। यहाँ हर प्रकार के उद्योगों का विस्तार हुआ है और पूंजीवादी मनोदशा के कारण कम लागत में ज्यादा कमाने की चाहत बढ़ी है जिसका प्रतिफल श्रमिकों में बच्चों की सहभागिता हुई। इसीलिये वाराणसी क्षेत्र को समग्र रूप में चयनित किया गया।

वाराणसी विश्व के प्राचीनतम सांस्कृतिक केन्द्रों में एक है। भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व को ज्ञान प्रदान करने वाली तथा आध्यात्मिक प्रकाश पुंज को बिखेरने वाली वाराणसी नगरी पूर्वांचल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। गंगा तट के अर्द्धचन्द्राकार पे बसी हुई यह नगरी गंगा तथा वरूणा के पावन शिखरों से अभिसिंचित है तथा प्राचीनतम संस्कृति एवं सभ्यता को युग–युगान्तरों से संजोए हुए है। शिक्षा, धर्म, दर्शन, कला, औषधि, विज्ञान, चित्रण कला, बनारसी साड़ियाँ एवं रेशमी कपड़ों के ऊपर विलक्षण दस्तकारी कार्य के लिये यह नगरी विश्व प्रसिद्ध है।

वाराणसी जनपद $24^0$56′ से $25^0$35′ उत्तरी अक्षांश और $81^0$14′ से $83^0$24′ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। वाराणसी के उत्तर पश्चिम में जौनपुर, दक्षिण में मिर्जापुर, उत्तरपूर्व में गाजीपुर तथा पूर्व

में बिहार प्रान्त अपनी सीमा को दर्शाते हैं। वाराणसी का क्षेत्रफल 1550.20 वर्ग कि0मी0 है। क्षेत्रफल के आधार पर इसका प्रदेश में 66वाँ स्थान है। वाराणसी की कुल जनसंख्या 3147927 है। जनसंख्या के आधार पर इस जनपद का उत्तर प्रदेश में 16वाँ स्थान है। इस जनपद की पुरूष जनसंख्या 1650138 एवं महिला जनसंख्या 1497789 है। इस जनपद की साक्षरता 67.09 प्रतिशत है। इस जनपद का मुख्यालय वाराणसी है। सदर एवं पिण्डरा दो तहसीलें हैं एवं चिरईगाँव, हरहुआ, पिण्डरा, बड़ागाँव, सेवापुरी, काशी विद्यापीठ, अराजीलाइन, चोलापुर नामक 8 विकासखण्ड हैं। गंगा के 84 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मानस मंदिर, मारकण्डेय महादेव कैथी, सारनाथ, बौद्ध मंदिर, रामनगर किला आदि प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल हैं।

औद्योगिक इकाईयों का आधिक्य वर्तमान समय में यहाँ हो चुका है। यद्यपि वाराणसी औद्योगीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया में पूर्वांचल के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यहाँ के कालीन उद्योग की चर्चा सम्पूर्ण विश्व में है। हथकरघा उद्योग एवं जरी तथा कढ़ाई उद्योग के उत्पादन सम्पूर्ण विश्व में निर्यात किये जाते हैं साथ ही यहाँ दिया–सलाई, आतिशबाजी, बीड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और यह पूरे भारत में भेजी जाती हैं। पान–बीड़ी का व्यवसाय एवं धार्मिक एवं पर्यटन से जुड़े होने के कारण होटलों एवं लॉजों की बहुतायत है।

अध्ययन का निदर्श

प्रस्तुत अध्ययन में वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों से उत्तरदाता के रूप में बाल–श्रमिकों का चयन किया गया है। असंगठित क्षेत्र के होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र से 20–20 बाल–श्रमिकों का चयन किया गया है जिसके लिये निदर्शन की स्नोवाल पद्धति एवं दैव पद्धति दोनों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 300 बाल–श्रमिक चयनित हुये हैं।

चयनित उत्तरदाताओं का क्षेत्र एवं संख्या

उद्योग	संख्या	प्रतिशत
पान	20	6.66 %
बीड़ी उद्योग	20	6.66 %
अगरबत्ती उद्योग	20	6.66 %
साबुन उद्योग	20	6.66 %
खिलौना उद्योग	20	6.66 %
कालीन उद्योग	20	6.67 %
निर्माण कार्य	20	6.67 %
वैयक्तिक सेवा	20	6.67 %
घरेलू नौकर	20	6.67 %
मेहतर का कार्य	20	6.67 %
रद्दी का कार्य	20	6.67 %
जरी एवं कढ़ाई उद्योग	20	6.67 %
कृषि उद्योग	20	6.67 %
मोटर गैराज	20	6.67 %
आतिशबाजी	20	6.67 %
योग	300	100.00 %

तथ्यों के एकीकरण की प्रविधियाँ

अध्ययन से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन हेतु मान्य स्रोतों में प्राथमिक एवं द्वैतीयक का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत एक साक्षात्कार–अनुसूची का निर्माण किया गया है। इस अनुसूची में अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नों को क्रमवार तैयार कर साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों का संकलन अध्ययन क्षेत्र के चयनित सूचनादाताओं से किया किया गया।

द्वैतीयक स्रोत

द्वैतीयक स्रोत के अन्तर्गत अध्ययन से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी के लिये शोध पुस्तकों, लेख, पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रपत्रों एवं प्रतिवेदनों आदि का उपयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषणात्मक प्रारूप एवं प्रस्तुतिकरण

प्रस्तुत शोध में आँकड़ों को प्रस्तुत करने में समाज वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण प्रणालियों, वर्गीकरण, सारणीयन, सांख्यिकीय परीक्षण का प्रयोग कर तथ्यों का विश्लेषण गुणात्मक एवं परिमाणात्मक आधार पर सरल एवं जटिल सारणियों के माध्यम से किया गया है, सरल सारणियों को प्रतिशत के आधार पर विवेचित एवं विश्लेषित किया गया है एवं जटिल सारणियों को स्वतन्त्र चर

(स्थायी परिवर्त्य, आयु, जाति, शिक्षा, आय) से आश्रित चरों (विकास प्रक्रिया के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलुओं से सम्बन्धित पक्षों पर प्राप्त तथ्यों को) सह सम्बन्धित कर सांख्यिकीय आधार पर काई स्कवायर परीक्षण द्वारा सार्थकता को ज्ञात किया गया है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शोध के समाज वैज्ञानिक निहितार्थ को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की सीमायें

अध्ययन क्षेत्र के चुनाव की प्रासंगिकता –

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र का चुनाव निम्नलिखित कारणों से किया गया है–

1. चूँकि इस क्षेत्र में व्यवसाय एवं उद्योग का आधिक्य है। यहाँ सभी प्रकार के उद्योग जैसे– आतिशबाजी, काँच, कालीन, बीड़ी उद्योग, जरी, हथकरघा, इत्यादि बड़ी संख्या में हैं जिसमें अधिकांशतः बाल–श्रमिक कार्य करते हैं। शहरी परिवेश में गाँव से पलायन प्रायः होता रहता है।
2. शोध विषयवस्तु की सुगमता एवं बोधगम्यता के साथ–साथ स्वयं की सुविधा की वजह से भी इस क्षेत्र का चुनाव किया गया।

शोध की सीमायें –

प्रस्तुत अध्ययन वाराणसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक सीमित हैं। अतः इसके आधार पर सार्वभौमिक सिद्धान्त की रचना और सामान्यीकरण करने में कठिनाई हो सकती है फिर भी यह अध्ययन में इस बात का प्रयास अवश्य होगा कि जो निष्कर्ष निकलें वे व्यापक और विश्वसनीय हों तथा उनसे घटनाओं का स्पष्टीकरण जरूर हो जाये।

अध्ययन की कठिनाईयाँ –

1. बाल श्रम समस्या एक ज्वलन्त समस्या है। सरकार द्वारा जारी बाल श्रम उन्मूलन आदेश, बाल श्रम के लिये लगने वाले जुर्माने इत्यादि के डर से मालिक अपने संस्थानों के कार्यरत बच्चों को वहाँ से हटा देते थे। उन्हें अपने विश्वास में लेना अत्यन्त कठिन होता था। शोध के शैक्षणिक उद्देश्य के बारे में बताकर, उनके नाम संस्थान के नाम को न छापने की शर्त पर ही उत्तरदाताओं के विषय में जानकारी सम्भव हो सकी है।
2. अशिक्षित तथा अज्ञानता की जिन्दगी बसर करने वाले उत्तरदाताओं को अपनी बात समझाने के लिये बहुत परिश्रम करना पड़ता था।

3. कभी–कभी आस–पास के लोगों से जानकारी लेते समय पत्रकार या सरकारी व्यक्ति समझकर जानकारी नहीं देते थे।
4. बाल–श्रमिकों के माता–पिता अपना दुखड़ा रोते हुये अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे जो बहुत ही अजीब लगता था।

शोध प्रबन्ध का अध्यायीकरण

प्रथम खण्ड:

सैद्धान्तिक एवं अवधारणात्मक परिवेश

अध्याय प्रथम	:	परिचय
अध्याय द्वितीय	:	शोध का प्रारूप
अध्याय तृतीय	:	अध्ययन का परिवेश

द्वितीय खण्ड :

अनुभवात्मक परिवेश

अध्याय चतुर्थ	:	बाल–श्रमिकों की वैयक्तिक पृष्ठभूमि शैली
अध्याय पंचम	:	परिवार की प्रकृति एवं सम्बन्धों के प्रतिमान
अध्याय षष्ठम	:	रोजगार की प्रकृति और कार्य का स्वरूप
अध्याय सप्तम	:	कार्य की दशायें और सन्तुष्टि

अध्याय अष्टम : राजकीय प्रयत्न और सुविधाओं की प्राप्ति

अध्याय नवम : अधिनियमों एवं राजकीय प्रयत्नों के प्रति चेतना

तृतीय खण्ड

निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण

अध्याय दशम : शोध की उपलब्धियाँ

परिशिष्ट

क : साक्षात्कार अनुसूची

ख : सन्दर्भ ग्रन्थ सूची